भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5167
(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण

5167. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खरगौन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के खरगौन और बड़वानी जिलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत लक्षित 25,000 सड़कों से नहीं जुड़ी बस्तियों के लिए सड़कों की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है; और,

(ख) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए सितंबर 2024 में एक नया घटक, पीएमजीएसवाई-IV शुरू किया गया, जिसकी कार्यान्वयन समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना मैदानी क्षेत्रों में 500+; उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में 250+; तथा चिह्नित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 100+ की जनसंख्या वाली बसावटों को लक्षित करती है।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत परियोजनाओं का चयन और उनकी स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है, जो योजना के कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन, तकनीकी जांच और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने 987 बसावटों को लाभान्वित करने के लिए 2,117.52 कि.मी लंबाई वाली 973 सड़कों के प्रस्तावों पर 18.03.2026 को विचार किया।

जिला	सड़कों की संख्या	लंबाई कि.मी में	जोड़ी जाने वाली बसावटें
बड़वानी	118	257.99	118
खरगौन	21	44.70	22
